

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 के नियम 31(ख) के प्रावधानान्तर्गत उप प्राचार्य एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 17.02.2023 द्वारा की गई अनुशंगानुसार उप प्राचार्य एवं समकक्ष पद (अनुसूची-1) पर पे-मेट्रिक्स लेवल-14 में डी.पी.सी. वर्ष 2022-23 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठता सहयोग्यता के आधार पर इस कार्यालय के आदेश दिनांक 21.02.2023 द्वारा चयन किये जाने पर विभागीय आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी1-बी2/45001/उप प्राचार्य/डीपीसी-पदस्थापन/ 2022-23/2023 दिनांक 27.02.2023 द्वारा पदोन्नति उपरांत ऑनलाईन काउन्सलिंग द्वारा पदस्थापन आदेश जारी होने तक पदोन्नत उप प्राचार्यों को यथावत कार्यग्रहण किये जाने संबंधी निर्देश प्रदान किये गये थे।

ऑनलाईन काउन्सलिंग की वरीयता सूची जारी किये जाने से पूर्व विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 27.02.2023 में विशेष श्रेणी में राजकीय सेवा में कार्यरत पति-पत्नी को प्राथमिकता प्रदान नहीं किये जाने के कारण श्री छुट्टन लाल मीणा द्वारा मान. राज. उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एस.बी.सिविल याचिका संख्या 6541/2023 दायर की गई, जिसमें मान. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.05.2023 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष उक्त आशय का अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं विभाग को अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसे विधि अनुसार, नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करते हुए एक सकारण आख्यात्मक आदेश प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

मान. न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं को पति-पत्नी के राजकीय सेवा में कार्यरत होने के आधार पर ऑनलाईन काउन्सलिंग में एक ही स्थान अथवा समीपस्थ स्थान पर पदस्थापित किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विभाग द्वारा उप प्राचार्य की वर्ष 2022-23 की मुख्य/नियमित डी.पी.सी. में चयनोपरांत आदेश दिनांक 27.02.2023 द्वारा विशेष वर्ग की सूची जारी की गई थी। काउन्सलिंग हेतु विशेष वर्ग के संबंध में शासन स्तर से समय-समय पर वरीयता के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं। तदनुसार ही विभाग द्वारा इनके अनुसरण में काउन्सलिंग के संबंध में निर्देश जारी किये जाते हैं। शासन स्तर से जारी निर्देशों में पति-पत्नी के राजकीय सेवा में कार्यरत होने के आधार पर अनुतोष दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान में राज्य सरकार की ऐसी कोई नीति भी प्रभावी नहीं है जिसमें राजकीय सेवारत पति-पत्नी को एक ही स्थान/निकटस्थ स्थान पर पदस्थापित किया जावे। याचिकार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं एवं सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा इन्हें राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। काउन्सलिंग में रिक्तियों का निर्धारण विभागीय प्राथमिकता एवं प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर किया जाता है एवं विभाग द्वारा उन विद्यालयों को प्राथमिकता से भरा जाता है जहां विद्यार्थी संख्या अधिक हो अथवा लम्बे समय से कार्मिकों के पद रिक्त चल रहे हों। यह आवश्यक नहीं कि उच्च वरीयता प्राप्त कार्मिक को भी इच्छित स्थान पर ही पदस्थापन मिले। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। अतः याचिकार्थी श्री छुट्टन लाल मीणा द्वारा की गई मांग स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी पक्षकार सूचित हो।

(काना राम)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

सत्यमेव जयते

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/एबी/बी-3/याचिका/छुट्टन लाल मीणा/6541/23 दिनांक: 26.SEP.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक।
7. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
9. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा को शिविरा/माध्य/विधि/जोध/नि./29854/ई/23 के क्रम में।
10. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. श्री छुट्टन लाल मीणा, उप प्राचार्य को सूचनार्थ।
12. निजी सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram

Designation: Director

Date: 2023.09.25 08:53:29 IST

Reason: Approved

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

